

FAX



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/2011- 1287


दिनांक 23.04, 2011

उपनिदेशक (प्रशा0-विप0),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
लखनऊ।

100 वर्ग किमी0 में एक मण्डी /उप मण्डी स्थापित करने सम्बन्धी (रूग्नी.मार्केटिंग हब) योजना के कियान्वयन हेतु सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति की सूची आपको प्रेषित की गयी थी और आपके ई-मेल पर भी अपलोड करा दी गयी थी। तत्कम में आपके सम्भाग से प्राप्त निर्धारित 14 कालम की सूचना के कम में स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

पंचायतीराज/सहकारिता विभाग (पैक्स सहित) से प्राप्त अनापत्ति की संख्या	सम्भाग से अनापत्ति के कम में कुल स्थलों की संख्या	सम्भाग प्राप्त उपयुक्त स्थलों की संख्या	से सम्भाग अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	अनापत्ति के कम में सम्भाग से प्राप्त अवशेष स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5
1192	30	30	-	1162

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनापत्ति के कम में अभी भी आपके सम्भाग से उक्त कालम-5 में अंकित 1162 स्थलों की सूचना प्राप्त होना अवशेष है। उल्लेखनीय है कि रूग्नी. मार्केटिंग हब योजना का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर है। अतएव अपेक्षित है कि उक्त अप्राप्त स्थलों की सूचना पूर्व में निर्धारित 14 कालम के प्रारूप में अभ्युक्ति के कालम में क्षेत्रफल का स्पष्ट अंकन करते हुए सूचना दिनांक 30.5.2011 तक सी0डी0 सहित अब तक हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त न होने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा जिसके लिए अमर स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(राजेश कुमार सिंह)
21.05.11
मण्डी निदेशक

FAX



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/2011-1378

दिनांक 23.6.2011


उपनिदेशक (प्रशा0-विप0),

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
मेरठ।

100 वर्ग किमी0 में एक मण्डी /उप मण्डी स्थापित करने सम्बन्धी (स्त्री: मार्केटिंग हब) योजना के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति की सूची आपको प्रेषित की गयी थी और आपके ई-मेल पर भी अपलोड करा दी गयी थी। तत्कम में आपके सम्भाग से प्राप्त निर्धारित 14 कालम की सूचना के क्रम में स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

पंचायतीराज/सहकारिता विभाग (पैक्स सहित) से प्राप्त अनापत्ति की संख्या	सम्भाग से अनापत्ति के क्रम में प्राप्त कुल स्थलों की संख्या	सम्भाग प्राप्त स्थलों की संख्या	से अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	सम्भाग से प्राप्त अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	अनापत्ति के क्रम में सम्भाग से प्राप्त होने वाले अवशेष स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5	
400	49	11	38	351	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनापत्ति के क्रम में अभी भी आपके सम्भाग से उक्त कालम-5 में अंकित 351 स्थलों की सूचना प्राप्त होना अवशेष है। उल्लेखनीय है कि स्त्री. मार्केटिंग हब योजना का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर है। अतएव अपेक्षित है कि उक्त अप्राप्त स्थलों की सूचना पूर्व में निर्धारित 14 कालम के प्रारूप में अभ्युक्ति के कालम में क्षेत्रफल का स्पष्ट अंकन करते हुए सूचना दिनांक 30.5.2011 तक सी0डी0 सहित अब तक हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त न होने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा जिसके लिए आम स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक

FAX



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/2011-1379

दिनांक 23.5.2011


उपनिदेशक (प्रशा0-विप0),

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
आगरा।

100 वर्ग किमी0 में एक मण्डी /उप मण्डी स्थापित करने सम्बन्धी (रुश्री.मार्केटिंग हब) योजना के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति की सूची आपको प्रेषित की गयी थी और आपके ई-मेल पर भी अपलोड करा दी गयी थी। तत्कम में आपके सम्भाग से प्राप्त निर्धारित 14 कालम की सूचना के कम में स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

पंचायतीराज/सहकारिता विभाग (पैक्स सहित) से प्राप्त अनापत्ति की संख्या	सम्भाग से अनापत्ति के कम में कुल स्थलों की संख्या	सम्भाग प्राप्त स्थलों की संख्या	से उपयुक्त स्थलों की संख्या	सम्भाग से प्राप्त अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	अनापत्ति के कम में सम्भाग से प्राप्त होने वाले अवशेष स्थलों की संख्या
1	2	3	3	4	5
356	04	03	03	01	352

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनापत्ति के कम में अभी भी आपके सम्भाग से उक्त कालम-5 में अंकित 352 स्थलों की सूचना प्राप्त होना अवशेष है। उल्लेखनीय है कि रुश्री.मार्केटिंग हब योजना का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर है। अतएव अपेक्षित है कि उक्त अप्राप्त स्थलों की सूचना पूर्व में निर्धारित 14 कालम के प्रारूप में अयुक्ति के कालम में क्षेत्रफल का स्पष्ट अंकन करते हुए सूचना दिनांक 20.5.2011 तक सी0डी0 सहित अब तक हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त न होने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक

21.05.11

FAX



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/2011- 1283


दिनांक 23.5.2011

उपनिदेशक (प्रशा0-विप0),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
झाँसी।

100 वर्ग किमी0 में एक मण्डी /उप मण्डी स्थापित करने सम्बन्धी (श्री मार्केटिंग हब) योजना के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति की सूची आपको प्रेषित की गयी थी और आपके ई-मेल पर भी अपलोड करा दी गयी थी। तत्कम में आपके सम्भाग से प्राप्त निर्धारित 14 कालम की सूचना के कम में स्थिति निम्नवत् प्रायी गयी है:-

पंचायतीराज/सहकारिता विभाग (पैक्स सहित) से प्राप्त अनापत्ति की संख्या	सम्भाग से अनापत्ति के कम में कुल स्थलों की संख्या	सम्भाग प्राप्त स्थलों की संख्या	से सम्भाग अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	सम्भाग से प्राप्त अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	अनापत्ति के कम में सम्भाग से प्राप्त होने वाले अवशेष स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5	
430	43	15	28	387	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनापत्ति के कम में अभी भी आपके सम्भाग से उक्त कालम-5 में अंकित 387 स्थलों की सूचना प्राप्त होना अवशेष है। उल्लेखनीय है कि श्री मार्केटिंग हब योजना का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर है। अतएव अपेक्षित है कि उक्त अप्राप्त स्थलों की सूचना पूर्व में निर्धारित 14 कालम के प्रारूप में अद्युक्ति के कालम में क्षेत्रफल का स्पष्ट अंकन करते हुए सूचना दिनांक 30.5.2011 तक सी0डी0 सहित अब तक हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त न होने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक

FAX



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/2011-1384


दिनांक 23.5.2011

उपनिदेशक (प्रशा-विप0),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

100 वर्ग किमी0 में एक मण्डी /उप मण्डी स्थापित करने सम्बन्धी (श्री.मार्केटिंग हब) योजना के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति की सूची आपको प्रेषित की गयी थी और आपके ई-मेल पर भी अपलोड करा दी गयी थी। तत्कम में आपके सम्भाग से प्राप्त निर्धारित 14 कालम की सूचना के कम में स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

पंचायतीराज/सहकारिता विभाग (पैक्स सहित) से प्राप्त अनापत्ति की संख्या	सम्भाग से अनापत्ति के कम में प्राप्त कुल स्थलों की संख्या	सम्भाग प्राप्त उपयुक्त स्थलों की संख्या	से सम्भाग से प्राप्त अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	अनापत्ति के कम में सम्भाग से प्राप्त होने वाले अवशेष स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5
638	15	08	07	623

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनापत्ति के कम में अभी भी आपके सम्भाग से उक्त कालम-5 में अंकित 623 स्थलों की सूचना प्राप्त होना अवशेष है। उल्लेखनीय है कि श्री.मार्केटिंग हब योजना का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर है। अतएव अपेक्षित है कि उक्त अप्राप्त स्थलों की सूचना पूर्व में निर्धारित 14 कालम के प्रारूप में अभ्युक्ति के कालम में क्षेत्रफल का स्पष्ट अंकन करते हुए सूचना दिनांक 30.5.2011 तक सी0डी0 सहित अब तक हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त न होने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक



FAX

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/2011-138]


दिनांक 23/5/2011

उपनिदेशक (प्रशा0-विप0),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
वाराणसी।

100 वर्ग किमी0 में एक मण्डी / उप मण्डी स्थापित करने सम्बन्धी (एग्रो-मार्केटिंग हब) योजना के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति की सूची आपको प्रेषित की गयी थी और आपके ई-मेल पर भी अपलोड करा दी गयी थी। तत्कम में आपके सम्भाग से प्राप्त निर्धारित 14 कालम की सूचना के क्रम में स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

पंचायतीराज/सहकारिता विभाग (पैक्स सहित) से प्राप्त अनापत्ति की संख्या	सम्भाग से अनापत्ति के क्रम में प्राप्त कुल स्थलों की संख्या	सम्भाग प्राप्त उपयुक्त स्थलों की संख्या	से सम्भाग से प्राप्त अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	अनापत्ति के क्रम में सम्भाग से प्राप्त होने वाले अवशेष स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5
658	40	11	29	618

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनापत्ति के क्रम में अभी भी आपके सम्भाग से उक्त कालम-5 में अंकित 618 स्थलों की सूचना प्राप्त होना अवशेष है। उल्लेखनीय है कि एग्रो-मार्केटिंग हब योजना का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर है। अतएव अपेक्षित है कि उक्त अप्राप्त स्थलों की सूचना पूर्व में निर्धारित 14 कालम के प्रारूप में अभ्युक्ति के कालम में क्षेत्रफल का स्पष्ट अंकन करते हुए सूचना दिनांक 20.5.2011 तक सी0डी0 सहित अब तक हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त न होने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक

Fax



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/2011- 1312-

दिनांक 23.5. 2011

उपनिदेशक (प्रशा0-विप0),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
गोरखपुर ।

100 वर्ग किमी0 में एक मण्डी /उप मण्डी स्थापित करने सम्बन्धी (एग्री.मार्केटिंग हब) योजना के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति की सूची आपको प्रेषित की गयी थी और आपके ई-मेल पर भी अपलोड करा दी गयी थी। तत्कम में आपके सम्भाग से प्राप्त निर्धारित 14 कालम की सूचना के क्रम में स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

पंचायतीराज/सहकारिता विभाग (पैक्स सहित) से प्राप्त अनापत्ति की संख्या	सम्भाग से अनापत्ति के क्रम में प्राप्त कुल स्थलों की संख्या	सम्भाग प्राप्त उपयुक्त स्थलों की संख्या	सम्भाग से प्राप्त अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	अनापत्ति के क्रम में सम्भाग से प्राप्त होने वाले अवशेष स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5
694	72	01	71	622

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनापत्ति के क्रम में अभी भी आपके सम्भाग से उक्त कालम-5 में अंकित 622 स्थलों की सूचना प्राप्त होना अवशेष है। उल्लेखनीय है कि एग्री.मार्केटिंग हब योजना का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर है। अतएव अपेक्षित है कि उक्त अप्राप्त स्थलों की सूचना पूर्व में निर्धारित 14 कालम के प्रारूप में अभ्युक्ति के कालम में क्षेत्रफल का स्पष्ट अंकन करते हुए सूचना दिनांक 25.5.2011 तक सी0डी0 सहित अब तक हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त न होने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(सजेश कुमार सिंह)

मण्डी निदेशक

21.05.11

FAX



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/2011-1289


दिनांक 23rd, 2011

उपनिदेशक (प्रशा0-विप0),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
बरेली।

100 वर्ग किमी0 में एक मण्डी / उप मण्डी स्थापित करने सम्बन्धी (रुश्री.मार्केटिंग हब) योजना के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति की सूची आपको प्रेषित की गयी थी और आपके ई-मेल पर भी अपलोड करा दी गयी थी। तत्कम में आपके सम्भाग से प्राप्त निर्धारित 14 कालम की सूचना के कम में स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

पंचायतीराज/सहकारिता विभाग (पैक्स सहित) से प्राप्त अनापत्ति की संख्या	सम्भाग से अनापत्ति के कम में कुल स्थलों की संख्या	सम्भाग प्राप्त उपयुक्त स्थलों की संख्या	सम्भाग से प्राप्त अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	अनापत्ति के कम में सम्भाग से प्राप्त होने वाले अवशेष स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5
549	40	19	21	509

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनापत्ति के कम में अभी भी आपके सम्भाग से उक्त कालम-5 में अंकित 509 स्थलों की सूचना प्राप्त होना अवशेष है। उल्लेखनीय है कि रुश्री.मार्केटिंग हब योजना का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर है। अतएव अपेक्षित है कि उक्त अप्राप्त स्थलों की सूचना पूर्व में निर्धारित 14 कालम के प्रारूप में अभ्युक्ति के कालम में क्षेत्रफल का स्पष्ट अंकन करते हुए सूचना दिनांक 30.5.2011 तक सी0डी0 सहित अब तक हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त न होने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक

21.05.11

FAX



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/2011- 1388

दिनांक 23.05.2011


उपनिदेशक (प्रशा-विप0),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
मुरादाबाद।

100 वर्ग किमी0 में एक मण्डी /उप मण्डी स्थापित करने सम्बन्धी (श्री-मार्केटिंग हब) योजना के कियान्वयन हेतु सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति की सूची आपकी प्रेषित की गयी थी और आपके ई-मेल पर भी अपलोड करा दी गयी थी। तत्कम में आपके सम्भाग से प्राप्त निर्धारित 14 कालम की सूचना के कम में स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

पंचायतीराज/सहकारिता विभाग (पैक्स सहित) से प्राप्त अनापत्ति की संख्या	सम्भाग से अनापत्ति के कम में प्राप्त कुल स्थलों की संख्या	सम्भाग प्राप्त उपयुक्त स्थलों की संख्या	से अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	सम्भाग से प्राप्त अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	अनापत्ति के कम में सम्भाग से प्राप्त होने वाले अवशेष स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5	399
415	16	08	07	07	399

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनापत्ति के कम में अभी भी आपके सम्भाग से उक्त कालम-5 में अंकित 399 स्थलों की सूचना प्राप्त होना अवशेष है। उल्लेखनीय है कि श्री-मार्केटिंग हब योजना का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर है। अतएव अपेक्षित है कि उक्त अप्राप्त स्थलों की सूचना पूर्व में निर्धारित 14 कालम के प्रारूप में अभ्युक्ति के कालम में क्षेत्रफल का स्पष्ट अंकन करते हुए सूचना दिनांक 20.5.2011 तक सी0डी0 सहित अब तक हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त न होने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

होम


(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक

FAX



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/2011- 1343


दिनांक 23-5-2011

उपनिदेशक (प्रशा0-विप0),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
कानपुर ।

100 वर्ग किमी0 में एक मण्डी / उप मण्डी स्थापित करने सम्बन्धी (रूब्री-मार्केटिंग हब) योजना के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति की सूची आपको प्रेषित की गयी थी और आपके ई-मेल पर भी अपलोड करा दी गयी थी। तत्कम में आपके सम्भाग से प्राप्त निर्धारित 14 कालम की सूचना के कम में स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

पंचायतीराज/सहकारिता विभाग (पैक्स सहित) से प्राप्त अनापत्ति की संख्या	सम्भाग से अनापत्ति के कम में प्राप्त कुल स्थलों की संख्या	सम्भाग प्राप्त उपयुक्त स्थलों की संख्या	सम्भाग से प्राप्त अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	अनापत्ति के कम में सम्भाग से प्राप्त होने वाले अवशेष स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5
525	79	19	60	453

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनापत्ति के कम में अभी भी आपके सम्भाग से उक्त कालम-5 में अंकित 453 स्थलों की सूचना प्राप्त होना अवशेष है। उल्लेखनीय है कि रूब्री-मार्केटिंग हब योजना का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर है। अतएव अपेक्षित है कि उक्त अप्राप्त स्थलों की सूचना पूर्व में निर्धारित 14 कालम के प्रारूप में अभ्युक्ति के कालम में क्षेत्रफल का स्पष्ट अंकन करते हुए सूचना दिनांक 23.5.2011 तक सीडी0 सहित अब तक हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त न होने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक

FAX



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/2011-1385

दिनांक 23.5.2011

उपनिदेशक (प्रशा0-विप0),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
फैजाबाद।

100 वर्ग किमी0 में एक मण्डी / उप मण्डी स्थापित करने सम्बन्धी (ग्रामी-मार्केटिंग हब) योजना के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति की सूची आपको प्रेषित की गयी थी और आपके ई-मेल पर भी अपलोड करा दी गयी थी। तत्कम में आपके सम्भाग से प्राप्त निर्धारित 14 कालम की सूचना के क्रम में स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

पंचायतीराज/सहकारिता विभाग (पिक्स सहित) से प्राप्त अनापत्ति की संख्या	सम्भाग से अनापत्ति के क्रम में प्राप्त कुल स्थलों की संख्या	सम्भाग प्राप्त उपयुक्त स्थलों की संख्या	से अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	सम्भाग से प्राप्त अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	अनापत्ति के क्रम में सम्भाग से प्राप्त होने वाले अवशेष स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5	
1019	56	04	52	1075	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनापत्ति के क्रम में अभी भी आपके सम्भाग से उक्त कालम-5 में अंकित 1075 स्थलों की सूचना प्राप्त होना अवशेष है। उल्लेखनीय है कि ग्रामी-मार्केटिंग हब योजना का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर है। अतएव अपेक्षित है कि उक्त अप्राप्त स्थलों की सूचना पूर्व में निर्धारित 14 कालम के प्रारूप में अभ्युक्ति के कालम में क्षेत्रफल का स्पष्ट अंकन करते हुए सूचना दिनांक 30.5.2011 तक सी0डी0 सहित अब तक हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त न होने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

हिरण


(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक

FAX



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/2011-1391

दिनांक 23.5.2011

उपनिदेशक (प्रशा0-विप0),

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
आजमगढ़।

100 वर्ग किमी0 में एक मण्डी /उप मण्डी स्थापित करने सम्बन्धी (स्ट्री-मार्केटिंग हब) योजना के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति की सूची आपको प्रेषित की गयी थी और आपके ई-मेल पर भी अपलोड करा दी गयी थी। तत्कम में आपके सम्भाग से प्राप्त निर्धारित 14 कालम की सूचना के कम में स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

पंचायतीराज/सहकारिता विभाग (पैक्स सहित) से प्राप्त अनापत्ति की संख्या	सम्भाग से अनापत्ति के कम में प्राप्त कुल स्थलों की संख्या	सम्भाग प्राप्त उपयुक्त स्थलों की संख्या	सम्भाग से अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	अनापत्ति के कम में सम्भाग से प्राप्त अवशेष स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5
560	42	01	41	518

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनापत्ति के कम में अभी भी आपके सम्भाग से उक्त कालम-5 में अंकित 518 स्थलों की सूचना प्राप्त होना अवशेष है। उल्लेखनीय है कि **स्ट्री-मार्केटिंग हब** योजना का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर है। अतएव अपेक्षित है कि उक्त अप्राप्त स्थलों की सूचना पूर्व में निर्धारित 14 कालम के प्रारूप में **अभ्युक्ति के कालम में क्षेत्रफल का स्पष्ट अंकन** करते हुए सूचना दिनांक 30.5.2011 तक सी0डी0 सहित अब तक हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त होने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(राजेश कुमार सिंह)

मण्डी निदेशक

21.05.11

(राजेश कुमार सिंह)

मण्डी निदेशक

FAX



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/2011-1390

दिनांक 23.4.2011


उपनिदेशक (प्रशा-विप0),

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
मिर्जापुर।

100 वर्ग किमी0 में एक मण्डी /उप मण्डी स्थापित करने सम्बन्धी (श्री. मार्केटिंग हब) योजना के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति की सूची आपको प्रेषित की गयी थी और आपके ई-मेल पर भी अपलोड करा दी गयी थी। तत्कम में आपके सम्भाग से प्राप्त निर्धारित 14 कालम की सूचना के कम में स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

पंचायतीराज/सहकारिता विभाग (पैक्स सहित) से प्राप्त अनापत्ति की संख्या	सम्भाग से अनापत्ति के कम में प्राप्त कुल स्थलों की संख्या	सम्भाग प्राप्त उपयुक्त स्थलों की संख्या	सम्भाग से प्राप्त अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	अनापत्ति के कम में सम्भाग से प्राप्त होने वाले अवशेष स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5
231	15	-	15	216

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनापत्ति के कम में अभी भी आपके सम्भाग से उक्त कालम-5 में अंकित 216 स्थलों की सूचना प्राप्त होना अवशेष है। उल्लेखनीय है कि श्री. मार्केटिंग हब योजना का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर है। अतएव अपेक्षित है कि उक्त अप्राप्त स्थलों की सूचना पूर्व में निर्धारित 14 कालम के प्रारूप में अभ्युक्ति के कालम में क्षेत्रफल का स्पष्ट अंकन करते हुए सूचना दिनांक 20.5.2011 तक सी0डी0 सहित अब तक हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त न होने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(राजेश कुमार सिंह PS-11)
मण्डी निदेशक

FAX



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/2011- 1382


दिनांक 23 मई 2011

उपनिदेशक (प्रशा0-विप0),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
सहारनपुर।

100 वर्ग किमी0 में एक मण्डी /उप मण्डी स्थापित करने सम्बन्धी (ए.मार्केटिंग हब) योजना के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति की सूची आपको प्रेषित की गयी थी और आपके ई-मेल पर भी अपलोड करा दी गयी थी। तत्क्रम में आपके सम्भाग से प्राप्त निर्धारित 14 कालम की सूचना के क्रम में स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

पंचायतीराज/सहकारिता विभाग (पैक्स सहित) से प्राप्त अनापत्ति की संख्या	सम्भाग से अनापत्ति के क्रम में कुल स्थलों की संख्या	सम्भाग प्राप्त स्थलों की संख्या	से सम्भाग अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	सम्भाग से प्राप्त अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	अनापत्ति के क्रम में सम्भाग से प्राप्त होने वाले अवशेष स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5	199
240	41	03	38		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनापत्ति के क्रम में अभी भी आपके सम्भाग से उक्त कालम-5 में अंकित 199 स्थलों की सूचना प्राप्त होना अवशेष है। उल्लेखनीय है कि ए.मार्केटिंग हब योजना का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर है। अतएव अपेक्षित है कि उक्त अप्राप्त स्थलों की सूचना पूर्व में निर्धारित 14 कालम के प्रारूप में अभ्युक्ति के कालम में क्षेत्रफल का स्पष्ट अंकन करते हुए सूचना दिनांक 20.5.2011 तक सी0डी0 सहित अब तक हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त न होने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/2011- 1386

दिनांक 23.5.2011

उपनिदेशक (प्रशा0-विप0),
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
बस्ती ।

100 वर्ग किमी0 में एक मण्डी /उप मण्डी स्थापित करने सम्बन्धी (श्री. मार्केटिंग हब) योजना के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति की सूची आपको प्रेषित की गयी थी और आपके ई-मेल पर भी अपलोड करा दी गयी थी। तत्कम में आपके सम्भाग से प्राप्त निर्धारित 14 कालम की सूचना के कम में स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

पंचायतीराज/सहकारिता विभाग (पैक्स सहित) से प्राप्त अनापत्ति की संख्या	सम्भाग से अनापत्ति के कम में प्राप्त कुल स्थलों की संख्या	सम्भाग प्राप्त स्थलों की संख्या	से सम्भाग अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	अनापत्ति के कम में सम्भाग से प्राप्त अवशेष स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5
347	15	08	07	332

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनापत्ति के कम में अभी भी आपके सम्भाग से उक्त कालम-5 में अंकित 332 स्थलों की सूचना प्राप्त होना अवशेष है। उल्लेखनीय है कि श्री. मार्केटिंग हब योजना का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर है। अतएव अपेक्षित है कि उक्त अप्राप्त स्थलों की सूचना पूर्व में निर्धारित 14 कालम के प्रारूप में अप्युक्ति के कालम में क्षेत्रफल का स्पष्ट अंकन करते हुए सूचना दिनांक 28.5.2011 तक सी0डी0 सहित अब तक हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त न होने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा जिसके विरु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(संजय कुमार सिंह)

संजय कुमार सिंह 1.05.11
मण्डी निदेशक

FAX



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/2011- 1380

दिनांक 23.12.2011


उपनिदेशक (प्रशा0-विप0),

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
अलीगढ़।

100 वर्ग किमी0 में एक मण्डी /उप मण्डी स्थापित करने सम्बन्धी (एग्री.मार्केटिंग हब) योजना के क्रियान्वयन हेतु सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से स्थलों के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति की सूची आपको प्रेषित की गयी थी और आपके ई-मेल पर भी अपलोड करा दी गयी थी। तत्कम में आपके सम्भाग से प्राप्त निर्धारित 14 कालम की सूचना के क्रम में स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

पंचायतीराज/सहकारिता विभाग (पैक्स सहित) से प्राप्त अनापत्ति की संख्या	सम्भाग से अनापत्ति के क्रम में प्राप्त कुल स्थलों की संख्या	सम्भाग प्राप्त उपयुक्त स्थलों की संख्या	से सम्भाग से प्राप्त अनुपयुक्त स्थलों की संख्या	अनापत्ति के क्रम में सम्भाग से प्राप्त होने वाले अवशेष स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5
350	232	25	207	118

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनापत्ति के क्रम में अभी भी आपके सम्भाग से उक्त कालम-5 में अंकित 118 स्थलों की सूचना प्राप्त होना अवशेष है। उल्लेखनीय है कि एग्री.मार्केटिंग हब योजना का कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से शीर्ष पर है। अतएव अपेक्षित है कि उक्त अप्राप्त स्थलों की सूचना पूर्व में निर्धारित 14 कालम के प्रारूप में अप्युक्ति के कालम में क्षेत्रफल का स्पष्ट अंकन करते हुए सूचना दिनांक 30.5.2011 तक सी0डी0 सहित अब तक हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय पर सूचना प्राप्त न होने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा जिसके लिए ~~आप स्वयं जिम्मेदार~~ होंगे।


राजेश कुमार सिंह
मण्डी निदेशक

21.05.11